

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

मालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट खण्डेला

सुरेन्द्र सिंह

वनाम काबूराम धर्मे

मुकदमा

प्रा. पत्र प/स 251 (A) R.T. अध.

मुकदमा नं०

// सन्

2019

| हुकम          | हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए |
|---------------|--|--|
| <p>103/19</p> | <p>वकील प्राची श्री अजनाशम के हाजिर अदालत होकर प्रार्थना - पत्र अन्तर्गत धारा 251 (A) R.T. अध. पेश किया। प्रार्थना - पत्र दर्ज रजि-25 किया जावे। अप्रार्थीगण को तलबी जारी। नोटिस नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक 23-04-2019 को पेश है।</p> <p>23/04/19<br/>पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिद<br/>उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी नूरे<br/>/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 27/5/19 को पेश है।</p> <p>27/05/19 पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची अग्रिम अप्रार्थीगण के नोटिस तलबी होकर नहीं लौटे हैं अतः अन्तजार नोटिस पत्रावली दिनांक 19/06/2019 को पेश है।</p> <p>19/06/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिद<br/>उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी नूरे<br/>/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/8/19 को पेश है।</p> <p>20/08/19 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय फरिद<br/>उप./अनुपस्थित। पीठासीन अधिकारी नूरे<br/>/अन्य कार्य में व्यस्त पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 17/9/2019 को पेश है।</p> | <p>76-81<br/>4-4-19</p>                              |

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

नम  
अस  
हुक  
न

01 10  
19

इकजाही पेन्नी ले पत्रावली आज पेन्नी  
 प्रकरण में कई बार आवाज लगेवाई गई।  
 वहील हाथी अथवा पट्टाकारण में ले छोड़े की  
 साजिर अदालत नहीं आया। अतः प्रकृत अफस  
 हाजरी एवं अदम पैरवी में खानिज छिप  
 जाता है। पत्रावली कैसल शुमार लेखन  
 से कम हो तथा बाद रफ्तगील फाकिल फाकल  
 हो। निष्पत्ति से रजलान पुनाफा गणा।

*(Signature)*  
 उपखण्ड अधिकारी  
 खण्डेला (सीकर)